(1)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर म0प्र0

//उपकरण सामग्री कय हेतु सीमित निविदा आमंत्रण सूचना//

सर्व साधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि न्यायिक जिला स्थापना ग्वालियर में उपकरण सामग्री कय किये जाने हेतु विभिन्न प्रतिष्ठित फर्म/पंजीकृत संस्थानों से मध्यप्रदेश भण्डार कय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 की कण्डिका 11 के पालन में सीमित निविदा अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन सील बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित किया जाना है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

कमांक	सामग्री का नाम	विवरण	नग की संख्या
1	Crompton Ex HD-450-4-1 Neo Heavy Duty Exhaust Fan	18 Inch	26
2	Cooler with Stand	Khaitan MAXX60 Premium/Azera Premium 65 Lt/80Lt water Tank	28
		Crompton 60Lt/80Lt water Tank	

निविदायें दिनांक 27.07.2022 के सांयकाल 5.00 बजे तक जिला न्यायालय ग्वालियर में आवक-जावक शाखा में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक के माध्यम से जमा की जावेगी। अंतिम दिनांक तक प्राप्त समस्त निविदाएं जिला न्यायालय ग्वालियर में दिनांक 30.07.2022 को दोपहर 2.00 बजे गठित कय समिति के समक्ष खोली जावेगी। उक्त निविदा संबंधी शर्तों की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईट www.mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय ग्वालियर की बेवसाईट www.districts.ecourts.gov.in/gwalior पर भी उपलब्ध है।

(हस्ताक्षर) 13.7.22

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर

②

परिशिष्ट–ए
तकनीकी विड में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज

कमांक	दस्तावेजों का विवरण	रिमार्क
1	वित्तीय, तकनीकी विड के लिफाफे	
2	पेन नंबर	
3	आयकर विवरणी	
4	फर्म का स्थापना पंजीयन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन	
5	नगद जमा की रसीद/डीडी राशि 200/–	

13.7.22
वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम एवं पता :–

वित्तीय बिड

परिशिष्ट–बी

उपकरण सामग्री

क्र.	सामग्री का नाम	सामग्री का विवरण	क्रय की जाने वाली संभावित सामग्री की संख्या	प्रदाय की जाने वाली सामग्री की कंपनी का नाम	निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रति नग दर जीएसटी रहित	निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रति नग दर जीएसटी सहित	वारंटी/गारंटी माह/वर्षों में
1	Crompton Ex HD-450-4-1 Neo Heavy Duty Exhaust Fan	18 Inch	26	Crompton			
2	Cooler with Stand	Khaitan MAXX60 Premium/Azera Premium 65 Lt/80Lt water Tank	28	Khaitan/ Crompton			
		Crompton 60Lt/80Lt water Tank					

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम एवं पता :–

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर म0प्र0

निविदा की शर्ते

1. फर्म के रजिस्ट्रेशन की जीवित प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जीएसटी, टिन नं. आदि की छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जावेगी।
2. सभी प्रकार के करों व क्रय मूल्य का खुलासा तथा सकल योग स्पष्ट रूप से निविदा में किया जावे।
3. क्रय की गयी सामग्री की आपूर्ति एवं इन्स्टॉलेशन जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर/सिविल न्यायालय डबरा/सिविल न्यायालय भितरवार में आवश्यकता अनुसार किया जावेगा, जिसका कोई परिवहन व्यय(भाड़ा) पृथक से देय नहीं होगा।
4. सामग्री इंस्टॉलेशन उपरांत ही बिल ग्राह्य किया जावेगा।
5. मांग का आदेश करने से एक सप्ताह के अंदर सामग्री की प्रदायगी व इंस्टालेशन सुनिश्चित करना होगा अन्यथा क्रय की सामग्री के लिये मांग का आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
6. नियंत्रणाधिकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उक्त निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक होंगे।
7. प्रशासकीय कारणों से उक्त निविदा किसी भी समय व किसी भी प्रकम पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ग्वालियर के आदेश से निरस्त की जा सकेगी, जिसके संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा।
8. उपरोक्त सामग्री के क्रय की संख्या कम किये जाने अथवा बढ़ाये जाने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर को होगा।
9. जो फर्म मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम/जैम पोर्टल में पंजीकृत प्रदायकर्ता के रूप में पंजीकृत है, उन्हें पंजीयन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
10. प्रदाय की जा रही सामग्री के संबंध में कंपनी द्वारा दी जाने वाली गारंटी/वारंटी माह/वर्षो में स्पष्ट उल्लेख करें।
11. सामग्री की जो दरें प्रस्तुत की जायेगीं, वह निविदा प्रस्तुत दिनांक से कम से कम 04 माह तक मान्य हों।
12. <u>वित्तीय/तकनीकी लिफाफे</u>–निविदाकर्ता प्रथक–प्रथक वित्तीय, तकनीकी वाले लिफाफे तैयार कर उनपर वित्तीय, तकनीकी विड लेख करते हुए उक्त दोनो लिफाफों को तीसरे लिफाफे में मुहरबंद कर निविदा प्रस्तुत की जाएगी।
13. निविदा खोली जाते समय सर्वप्रथम तकनीकी विड के लिफाफे खोले जायेगें। जिस निविदाकर्ता द्वारा निविदा शुल्क की राशि एवं तकनीकी विड से संबंधित चाहे गये आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जायेगें, उन निविदाकर्ताओं की निविदा पर वित्तीय विड के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा। तकनीकी विड में सफल निविदाकर्ताओं के ही वित्तीय विड के लिफाफे खोले जायेगें।
14. **निविदा फार्म के साथ निविदा शुल्क 200/– रूपये** डीडी जोकि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम से देय होगा अथवा कार्यालय में 200/– रूपये नगद जमा कर उसकी रसीद निविदा फार्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है, बिना निविदा शुल्क के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

15. किसी भी परिस्थिति में यदि निविदा एक पक्ष के रूप में अथवा दोनो पक्षों के रूप में निरस्त होती है तो उपरोक्त निविदा शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16. जिन निविदाकर्ताओं की निविदा स्वीकार की जायेगी, **उन्हें 5000/– रूपये की ईएमडी एफडीआर के रूप में** जिसकी वैधता अवधि कम से कम 06 माह की होगी, जमा करना आवश्यक है। उक्त ईएमडी कय आदेश जारी होने के 06 माह के बाद प्रदाय की गयी सामग्री में किसी भी प्रकार की खराबी आने पर समस्या का निराकरण करने के उपरान्त वापिस कर दी जायेगी।

17. निविदायें दिनांक 27.07.2022 के सांयकाल 5.00 बजे तक 200/– रूपये निविदा शुल्क डीडी/कार्यालय में नगद जमा कर जमा रसीद/मूल डीडी के जिला न्यायालय ग्वालियर में आवक–जावक शाखा में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक के माध्यम से जमा की जावेगी।अंतिम दिनांक तक प्राप्त समस्त निविदाएं, निविदाकर्ताओं एवं कय समिति जिला न्यायालय ग्वालियर की उपस्थिति में दिनांक 30.07.2022 को दोपहर 2.00 बजे जिला न्यायालय ग्वालियर में खोली जावेगी। दिनांक 27.07.2022 के सांयकाल 5.00 बजे के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

18. निविदा प्रस्तुत करते समय निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु जिला नाजिर, जिला न्यायालय ग्वालियर के मोबाईल कमांक 9826586446 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर (म0प्र0)